हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और शोषण की घटनाएं

1675. **श्री जनार्दन यादव :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से नवम्बर, 1994 तक बिहार में हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और शोषण की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) क्या इन महिलाओं को कोई सुविधा मुहैय्या की गई है :

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन बलात्कारियों और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है : और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना बिहार राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए स्वीकृत की गई राशि

1675. **श्री अजीत जोगी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवृत्ति देने हेतु कितनी-कितनी राशी मंजूर की गयी है ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया है ;

(ग) 1993-94 के दौरान दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृत कितनी धनराशी का उपयोग नहीं हुआ और उसके क्या कारण है ; और

(घ) 1994-95 के दौन पूरी राशि के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाती के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लिए 1679.00 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता (प्रभार) निर्मुक्त की गई थी । 2175.00 लाख रूपए के कुल प्रभारी बजट प्रावधान में से 1994-95 के दौरान अब तक अनुसूचित जनजाति हेतु 1697.386 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है ।

(ख) और (ग) 1993-94 के दौरान निर्मुक्त 1679.00 लाख रूपए की कुल केन्द्रीय सहायता में से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिनसे रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, अन्य राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में 1047.684 लाख रूपए उपयोग किए जाने की सूचना मिली है । निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता तथा वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा उपयोग का अन्तर बकाया केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने के प्रस्ताव में अनुमानित लाभग्राहियों की संख्या तथा वास्तव में लाभ प्राप्त लाभ ग्रहियों की संख्या के अन्तर के कारण है ।

(घ) उस मामले में जहां अनुमानित व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई ठीक पहले वाले वर्ष के लिए वास्तविक व्यय की तुलना में काफी अधिक है, उनको अपने प्रस्तावों को व्यावहारिक ढ़ंग से युक्ति-युक्त बनाने के लिए परामर्श दिया गया है । राज्य सरकार के साथ व्यय की प्रगति समय-समय पर मानीटर भी की जाती है ।

Allocation of Amount of Prevention of Beggary

1677. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) the amount allocated to States and Union Territories for prevention of beggary under the scheme introduced by the centre in the eighth plan, year-wise and state-wise;

(b) the success achieved to check the menace of beggary; and

(c) whether all the state governments have enacted anti-beggary laws, if not, the reasons therefor and whether the state governments have been impressed upon to enact anti-beggary laws where these have not been enacted ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) An outlay of Rs. 600 lakhs have been provided under the Eighth Five Year Plan. Grant-in-aid is given to the States/UTs on the basis of proposals received from them. Grant-in-aid released to the States/UTs during the last three years is given in the annexed Statement. *(See* below) :

(b) The State Governments and the UT Administrations are responsible for taking anti-beggary measures and for creating greater awareness for checking the menace of beggary. However, the success in dealing with the menace of beggary varies from State to State depending upon factors like general awareness, enforcement, etc.

(c) So far 16 State Governments and 2 Union Territory Administrations have enacted anti-beggary laws. The State/Union Territory which have not enacted any anti-beggary laws are constantly impressed upon to do so.

Statement

List Showing the Grants released under the Scheme for Beggary Prevention during year 1992-93, 1993-94 and 1994-95

Name of the State	Amount released
Year 1992-93	
1. Gujarat	(Rs 8.68 lakhs
2. Karnatka	Rs. 3.52 ,,
3. West Bengal	Rs. 3.44 ,,
4. Delhi	Rs. 4.46 ,,
TOTAL	Rs. 20.00 lakhs
Year 1993-94	
1. Madhya Pradesh	Rs. 3.52 lakhs
2. Tamil Nadu	Rs. 16.05 ,,
3. West Bengal	Rs. 3.14 ,,
4. Delhi	Rs. 0.53 ,,
TOTAL	Rs. 23.24 lakhs
Year 1994-95 (*Upto 12th December*, 1994)	
1. Karnataka	Rs. 17.60 lakhs
2. Maharashtra	Rs. 4.55 ,,
3. West Bengal	Rs. 1.97 ,,
4. Delhi	Rs. 1.26 ,,
TOTAL	Rs. 25.38 lakhs